EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA, PART - II — SEC. 3 SUB. SEC - (i)

Appearing on Page No. 1972-1973

Dated 20-11-1993

जल संसाधन मंत्रालय

MINISTRY OF WATER RESOURCES

(इ. आर. विंग)

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1993

अधिसूचना

सा. का. नि. 565- ब्रह्मपुत्र बोर्ड, ब्रह्मपुत्र बोर्ड नियम, 1981 के नियम 10, नियम 14 और यम 16 के साथ पठित ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त वितयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, र्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ब्रह्मपुत्र बोर्ड (महाप्रबंधक की शक्तियां और कर्त्तव्य) नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा :

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) अभिप्रेत है।

(ख) "अध्यक्ष" से ब्रह्मपुत्र बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही र्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

महाप्रबंधक के उत्तरदायित्व :-

महाप्रबंधक,-

(1) ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साधारण प्रशासन के लिए अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायित्व होगा ;

(2) अधिनियम के अधीन धन संवितरण, राजस्वप्राप्ति, भंडार अभिरक्षा, लेखा रखने और न्हें नियमित रूप से बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के संबंध में बनाए गए नियमों को प्रवर्तित कराने में लापरीक्षा अधिकारियों की मदद और सहायता करेगा ;

(3) बोर्ड के संपूर्ण नियंत्रण के अधीन रहते हुए, बोर्ड के उन सभी क्रियाकलापों का, जो ध्यक्ष द्वारा उसे सौंपे जाएं साधारण पर्यवेक्षण करेगा और अध्यक्ष के माध्यम से कार्य की प्रगति से र्ड को समय-समय पर अवगत कराएगा ;

(4) ब्रह्मपुत्र बोर्ड नियम, 1981 के नियम 16 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड की विभिन्न काइयों को बजट व्यवस्थाओं के संदर्भ में अनुदान का उचित संवितरण करने तथा व्यय की प्रगति ा निरीक्षण करने और यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि अनुदान का ब्रह्मपुत्र बोर्ड नियम, 1981 के उपबंधों के अनुरूप उचित रूप से उपयोग किया गया है ;

(5) मुख्य इंजीनियर और उसके कार्यालय में उसके अधीनस्थ सभी अन्य अधिकारियों पर र्ण तकनीकी और पर्यवेक्षी नियंत्रण रखेगा ;

(6) उन शक्तियों का, जिसके अंतर्गत वित्तीय और अनुशासनिक शक्तियां भी हैं, जो बोर्ड ारा उसे समय-समय पर प्रत्यायोजित की जाएँ, प्रयोग करेगा;

(7) मुख्य इंजीनियरों, उप-मुख्य इंजीनियरों, अधीक्षण इंजीनियरों के स्थानांतरण और तैनाती के लिए, जैसा बोर्ड के कार्यचालन के हित में आवश्यक समझा जाए, अध्यक्ष को लिखित रूप में सिफारिश करेगा।

(8) बोर्ड के कार्यचालन के हित में समूह "क" कर्मचारियों के स्थानांतरण और उन्हें तैनात करने संबंधी शक्तियों का प्रयोग करेगा ; और

(9) बोर्ड के कार्यचालन के हित में समूह "ख", समूह "ग" और समूह "घ" कर्मचारियों के स्थानांतरण और उन्हें तैनात करने संबंधी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

सं. 23/17/90-स.न.आ./पू.न. 1635

हरभगवान खेटवाणी, अवर सचिव

(E. R. Wing)

New Delhi, the 2nd November, 1993

NOTIFICATION

G.S.R. 565- In exercise of the powers conferred by section 29 of the Brahmaputra Board Act, 1980 (46 of 1980) read with rules 10,14 and 16 of the Brahmaputra Board Rules, 1981, the Brahmaputra Board, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulation, namely :-

1. Short title and commencement-(1) These regulations may be called the Brahmaputra Board (Powers and Duties of the General Manager) Regulations, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. Definition-(1) In these regulations unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Brahmaputra Board Act, 1980 (46 of 1980)),

(b) "Chairman" means the Chairman of the Brahmaputra Board.

(2) The words and expressions used in these regulations but not defined shall have the same meaning respectively as assigned to them in the Act.

3. Responsibilities of the General Manager-The General Manager shall,—

(1) be responsible to the Chairman for general administration of the Brahmaputra Board ;

(2) help and assist the Audit Officers in enforcing the rules framed under the Act for disbursement of money,

: of revenue, - custody for stores, upkeep and regular ssion of accounts to the Board.

(3) subject to overall control by the Board, exercise l supervision of all activities of the Board as assigned by the Chairman, and shall apprise the progress of to the Board through the Chairman from time to

(4) subject to the provisions of rule 16 of the raputra Board Rules, 1981, be responsible to administer nt of proper disbursement of budgetary provisions to is units of the Board and oversee the progress of diture and see that the grant is properly utilised in rmity with the provisions of the Brahmaputra Board 1981;

(5) exereise full technical and supervisory control over ief Engineers and all other officers subordinate to him office;

CM's office ;

(6) exercise such of the powers, including financial and disciplinary powers delegated to him by the Board from time to time;

(7) recommend in writing to the Chairman for transfer and posting of Chief Engineers, Deputy Chief Engineers, Superintending Engineers as may be found necessary in the interest of working of the Board;

(8) exercise powers of transfer and posting of Group "A" employees upto the level of Executive Engineers in the interest of working of the Board; and

(9) exercise powers of transfer and posting for Group "B","C" and "D" employees in the interest of working of the Board.

[No. 23/17/90-JRC/ER/1635]

HARBHAGWAN KHETWANI, Under Secy.

IndiaCode

MGIPRRND-2693 WR/93-VII-27-11-93—100